वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 30.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान,राष्ट्रीय सहारा,तरुणमित्र न्यूज़,न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 30.01.2025

वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट में 39 अवैध निर्माण कार्य बंद, नोटिस

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित करने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष ने तैनात किए गए भूतपूर्व सैनिकों के कार्यों की समीक्षा की।

भूतपूर्व सैनिकों ने बगैर वीडीए से नक्शा स्वीकृत कराए 39 निर्माण कार्य को बंद कराकर नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया कि अवैध निर्माण कार्य रोकने के बाद भी जारी रहने की दशा में सील, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियोजन सहित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें।

भूतपूर्व सैनिक को वीडीए की ओर से पहचान पत्र जारी किया गया। इनकी तैनाती से वरुणा नदी किनारे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। साथ ही महायोजना-2031 में वरुणा नदी के किनारे के ग्रीन बेल्ट का भी संरक्षण होगा। सिकरौल में तैनात भूतपूर्व सैनिक विजय बहादुर सिंह ने 13 निर्माण कार्य बंद कराते हुए नोटिस दिया। अनिल कुमार सिंह ने 7 निर्माण बंद करवाए। शिवपुर के संतोष यादव ने 7 निर्माण बंद कराकर नोटिस दिया। सारनाथ के राम प्रसाद ने 5 निर्माण बंद करवाए। आदमपुर के शैलेष सिंह ने 3 निर्माण बंद करवा कर नोटिस दिया। जैतपुरा के जयशंकर यादव ने 2, दशाश्वमेध के उमाशंकर यादव ने 2 निर्माण बंद करवाए।

शुल्क जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई : वीडीए में बुधवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने लंबित शमन मानचित्र की समीक्षा की। शिवपुर और सिकरौल वार्ड में 7,36,25,181 रुपये जमा कराया। वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में 6,63,23,831 रुपये जमा कराया गया। शुल्क जमा न करने वालों पर ध्वस्तीकरण करने का निर्देश दिया।

दैनिक जागरण–दि0 30.01.2025

एक सप्ताह में 49.59 लाख रुपये शमन शुल्क की वसूली

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बीते सप्ताह 19 से 25 जनवरी तक 49.59 लाख रुपये लंबित शमन मानचित्र शुल्क वसूला गया। विभिन्न जोन की बुधवार को समीक्षा की गई।

विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा ने बताया कि जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल व विन्यास में 8,00,460 रुपये जमा कराए गए। इसी प्रकार जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में शमन शुल्क के मद में 41,59,537 रुपये जमा कराए गए। कहा कि स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा नहीं करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही जोनल अधिकारी करें। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर सचेत किया कि एक सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता विजय सिंह, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि, किरन सिंह जोन दो से प्रकाश कुमार, विनोद कुमार, रक्षित रघुवंशी आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 30.01.2025

वरुणा किनारे 39 निर्माण होंगे ध्वस्त

वाराणसी। वरुणा किनारे से 39 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। भवनों के चिह्नांकन की जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों को सौंपी गई थी। बुधवार को वीडीए मुख्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने यह निर्देश दिया।

सिकरौल वार्ड में गिलट बाजार चौराहा से चौकाघाट मार्ग पर पूर्व सैनिक विजय बहादुर सिंह ने 13 अवैध निर्माण चिन्हित किये हैं। इसी वार्ड में टकटकपुर से पाण्डेयपुर मार्ग पर पूर्व सैनिक अनिल कुमार सिंह ने 7, शिवपुर क्षेत्र में पूर्व सैनिक संतोष यादव ने 07, सारनाथ में अकथा तिराहे से संदहा चौराहा होते हुए गाजीपुर रोड पर, अकथा तिराहे से चन्द्रा चौराहे से बलुआ रोड पर पूर्व सैनिक राम प्रसाद ने 05, आदमपुर में पूर्व सैनिक शैलेष सिंह ने 3, जैतपुरा में पूर्व सैनिक जयशंकर यादव ने 02 अवैध निर्माण चिन्हित किये हैं।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 30.01.2025

बेसमेंट का सही प्रयोग व मानचित्रों का समय से करें निस्तारण

वाराणसी। विकास प्राधिकरण में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने जोन-एक एवं जोन-दो की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए जल्द निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। जोन-एक के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में 19 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 800460 जमा कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 73625181 व जोन-दो के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 19 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 4159537 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु. 66323831 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 30.01.2025

वीडीए वीसी ने की प्राधिकरण में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के कार्यों की समीक्षा

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित के निर्देश पर वरूणा नदी के किनारे से संलग्न उप जोन में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए तैनात भूतपूर्व सैनिकों के कार्यो की बुधवार को समीक्षा की गयी। तैनात भूतपूर्व सैनिकों को अनधिकृत निर्माण होने पर प्रारम्भ में ही पूरी तरह बन्द कराते हुए प्रभावी कार्यवाही सील, अभियोजन, ध्वस्तीकरण इत्यादि कराने का निर्देश दिया गया है। विकास प्राधिकरण के 7 उपजोन में तैनात भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ़ कई कार्यवाही की गयी। पुलकित गर्ग वीडीए वीसी ने समीक्षा के दौरान उपरोक्त चिन्हित 39 नव निर्माणों पर बगैर समक्ष स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य न होने देने हेतु निर्देश दिया गया।

साथ ही अवैध निर्माण कार्य रोकने के बाद भी निर्माण जारी रहने की दशा में सील, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभियोजन सहित ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया। उपरोक्त तैनात भूतपूर्व सैनिक को वी0डी0ए0 द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है। उक्त भूतपूर्व सैनिकों को क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग प्राधिकरण में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए

मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण, बकायेदार इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिना सक्षम स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु तैनात किया गया है। उक्त तैनाती से वरूणा नदी से संलग्न उपजोन में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी साथ ही महायोजना-2031 में वरूणा नदी किनारे नियत ग्रीन बेल्ट का भी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

न्यायाधीश–दि0 30.01.2025

अपर सचिव वीडीए डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशो के क्रम में आज दिनांक 29.01.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रो की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 19.01.2025 से 25.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 8,00,460.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 मे माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-7,36,25,181.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास मे विगत दिनांक 19.01.2025 से 25.01.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 41,59,537.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 मे माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओ के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणो की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतो के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह मे जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक मे अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में 1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकरी, श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।